(Established by Ritnand Balved Education Foundation)

OUTCOME REPORT

Of

SHRI JP GUPTA MEMORIAL 3rd AUMP NATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2019

Organised on 26-28 September 2019

 $\mathbf{B}\mathbf{y}$

AMITY LAW SCHOOL

1. General

Amity Law School (ALS) – Amity University Madhya Pradesh organised Shri JP Gupta Memorial 3rd AUMP National Moot Court Competition 2019 on 26th to 28th September 2019 at B Block Amity University MP Gwalior, with an intention to give a platform to budding Lawyers for flowering them as skilled professionals. The Moot Proposition was based on a case argued by legendary Shri JP Gupta from trial Court to Supreme Court. 76 Entries were received, but due to resource constrained only 42 teams were allowed. The dignitaries who graced the event included Sitting and Former Judges of High Court and District Court, and Advocates of High Court of M.P. who judged various rounds of the events, shared their ideas on this contemporary topic and their experiences while dealing with the related matters.

Team of Army Institute of Law, Mohali won the competition by defeating the team of Auro University, Surat, whereas other two teams in Semi Final were Punjab University, Chandigarh, and Dr. D.Y. Patil Institute of Law, Pune. In the final the teams argued their viewpoints before a bench comprising 3 sitting Judges of M.P. High Court namely Hon'ble Mr. Justice S.A. Dharmadhikari, Hon'ble Mr. Justice Anand Pathak and Hon'be Mr. Justice Vishal Mishra.

A cultural eve was organised on 27th September 2019. Valedictory ceremony was conducted on 28th September. Guests in valedictory function were 3 sitting Judges of M.P. High Court namely Hon'ble Mr. Justice S.A. Dharmadhikari, Hon'ble Mr. Justice Anand Pathak and Hon'be Mr. Justice Vishal Mishra.

2. Objective(s) of the Moot Court Competition

The AUMP National Moot Court Competition was organised with the following objectives:

- a. To encourage the students for making best endeavours by honest, dispassionate, scientific, critical and careful investigation, enquiry and search to discover legal principles, taking into account the legislation, executive and judicial law making and decision making process with a view to assess how far the legal process serves the social needs, and how it can be made useful and effective for the public good.
- b. To teach the law students practically honesty of purpose, industrious engagement rendering justice as a judge and helping to render justice as an advocate, serving of the society and philosophical free thinking and solving legal problems independently.
- c. To challenge students to excel in law, consequently testing their creativity and powers of persuasion in a friendly competition.
- d. To provide an opportunity to the students to interact with their counterparts of entire country at one place.
- e. To motivate the students to give excel to their wings of creativity, specifically in the field of law.
- f. To create an atmosphere of Moot Court in the ALS.

Pre –**Event Outcomes**

3. Tangible Outcomes

- a. The Moot Court Competition attracted the attention of the Institutions and the academicians from every part of the country.
- b. 102 Institutes enquired about the events.
- c. 76 teams registered themselves, whereas 42 teams were allowed to participate in the event.
- d. Five teams of various National Law Schools were also participated in the event.
- e. Rs. 1,25,000/- received against Registration Fees from the participating teams.

4. Intangible Outcomes.

- a. Vide scale publicity was done through various websites, Social media, correspondence and other sources in various Law Schools throughout India. This massive publicity helped to establish the brand AUMP.
- b. Law Octopus, Jus decree and Law Seekho were associated with the event which can be converted into a long term relationship with these leading legal websites having wide base in India.

- c. The Moot Proposition was related with the interest of every Indian citizen and at the same time comprising serious legal issues. Students from every corner of the country argued on this very topic and judges also discussed their views. Students of ALS got an opportunity to hear the experts on the issue, which strengthened their knowledge and understanding of the subject.
- d. Memorials submitted by various teams are assets to the Law library.

During Event Outcomes

5. Tangible Outcomes.

- (a) 3 sitting Judges of M.P. High Court namely Hon'ble Mr. Justice S.A. Dharmadhikari, Hon'ble Mr. Justice Anand Pathak and Hon'be Mr. Justice Vishal Mishra Judged the Final Round and graced the event as Chief Guest and Guests of Honour during Valedictory session. Another sitting Judge of M.P. High Court Hon'ble Mr. Jastice G.S. Ahluwalia innaugurated the event whereas the Former Judge of M.P. High Court Hon'ble Justice A.K. Shrivastava grace the cultural function on 27th September 2019 as chief guest. They appreciated our efforts. Other Guests including Advocates of M.P. High Court also very much impressed with the efforts made by ALS.
- (b) Certificates and Mementoes were given to every participant, which shall be a part of their record, there by established the name of AUMP forever.
- (c) As per the policy of the University, all the talks were recorded and kept in Libraries for future reference of faculties, scholars and students.

6. Intangible Outcomes

- (a) National Moot Court resulted in knowledge sharing by young budding lawyers of various institutes in the form of high quality arguments before experienced Advocates and Hon'ble Judges. The participants presented innovative research ideas while arguing. This has resulted in enhanced knowledge of students and delegates.
- (b) Knowledge was disseminated not only to the students of ALS but also to other students of AUMP who attended the Moot Court.

- (c) The various rounds amplified the awareness on various diversified issues related to the Moot Proposition that increased research skills among the students, research scholars and the faculties.
- (d) The Arguments in Moot Proposition also enhanced the knowledge of faculties and students as well as research scholars, exposed them to new research ideas, which credibly enhanced the reputation of AUMP as a research and innovation driven University.
- (e) Registration by 76 teams and participation of 42 teams from the renowned institutions throughout the country, manifested the reach of ALS, AUMP in the country.

Post Event Outcomes

7. Tangible Outcomes.

- (a) The event was covered by leading newspapers including Dainik Bhaskar, Patrika, Nav Bharat etc. (Web-links for news clippings are given in Appendix-II). This has resulted in brand building of AUMP and is likely to result in enhanced admissions in the forthcoming session.
- (b) A strong relationship was built with M.P. High Court, High Court Bar Association, a number of leading lawyers of Gwalior and a number of other institutions that participated in the event.
- (c) A data base of all the Memorials of participants has been developed and maintained for future reference.
- (d) The Participants, who got prizes, are our brand ambassadors.
- (e) Certificates were distributed to all the participants and so also the mementoes to all participating teams. This will also enhance our brand visibility in other Institutes.
- (f) We received Sponsorship worth Rs. 1,50,000/- from the family of Lat Shri JP Gupta to organize this competition on his name.
- (g) An amount of Rs. 1,25,000/- was collected as participation fees, Rs. 1,50,000/- as sponsorship and Total Rs. 2,75,000/- were the approximate expenses.

8. Intangible Outcome.

a) The concepts of Event will also help the students in shaping their career as good advocates and legal professionals.

9. Implementable Learning Outcomes

- a) Buoyed by the abundance success of National Moot Court, we will be able to take steps to organize the Moot Court at International level by having liaison with foreign Universities.
- b) More and more Intra Moot Court Competitions are required to be conducted to train our students to take part in International Moot Court.
- c) Students are required to be trained more on court craft specially body language. For this purpose, experienced lawyers of good standing will be called as expert in this field
- d) Students are required to be taken on educational tours to Supreme Court and High Courts to watch live Court proceedings to train our students in good advocacy.

Director- ALS

Prof. (Dr.) Devendra Kumar Pandey Director-Outcome

Pro -Vice Chancellor

Hon'ble Vice Chancellor

Profile of the Chief Guest AUMP NATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2018 6-7 September 2018

PROFILES

Hon'ble Mr. Justice S.A. Dharmadhikari

Justice S.A. Dharmadhikari practiced in civil, criminal and constitutional branches of law. He worked as standing counsel for union of India 2000-2015, Income tax Department, Reserve Bank of India, and as Senior standing Counsel for Central Excise, District Central Cooperative bank, various Public Sector Undertakings, Kendriya Viyalaya Sangathan, B.S.N.L, Welfare commissioner, Bhopal Gas Victim. Having an experience of 24 years as an advocate in the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. He was Appointed as Judge of the High Court of Madhya Pradesh on April 7th, 2016 and Permanent Judge on March 17, 2018.

Hon'ble Mr. Justice Anand Pathak

Hon'ble Mr. Justice Anand Pathak worked as Government Advocate in Advocate General's Office from year 2005-2009. He appeared regularly as Counsel for Western Railway, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, Employees Provident Fund, M.P. Power Transmission Company Limited, Hindustan Lever, ICICI, HDFC, Vikram University, etc., He participated and sat as Member in 'continuous and permanent Lok Adalat as well as in National Lok Adalat for 7-8 years, He appeared as counsel in some important Public Interest Litigations where the cause of Public at Large had been canvassed, He was also a recipient of National Merit Scholarship in Graduation and a Meritorious Student. He has undertook Private Pilot License Course from Flying Club on Scholarship,

He is a very keen sports person as he participated in Cricket (National Level), Hockey and Volleyball (State Level and College Level), He was Secretary, High Court Bar Association, Indore for session 2010-11, He wrote several articles on different subjects and had conducted frequent Lectures at different Law Colleges at Indore and at different Educational, Social, Cultural Organizations, and is a Life Member at Indian Institute of Public Administration, New Delhi. Appointed as Judge of the High Court of Madhya Pradesh on April 7th, 2016 and Permanent Judge on March 17, 2018.

Hon'ble Mr. Justice Vishal Mishra

Justice Vishal Mishra has worked for 19 years in High Court of M.P Gwalior Bench, District Court Claims Tribunal, Arbitration Tribunal Bhopal, Labour & Industrial court and other subordinate Courts in Gwalior Jurisdiction Dealing in Constitutional, Civil, Criminal, Claims, Service Matters. He has served the State Government by working as a Government Advocate for State of Madhya Pradesh in High Court Of M.P. Bench at Gwalior for a period of 2 years from 2009-2011.He has also worked as Dy. Advocate General of State of Madhya Pradesh for High Court of M.P. Bench at Gwalior from 2015-2016. He was appointed as Additional Advocate General in State of Madhya Pradesh in High Court of M.P. Bench at Gwalior on 2016-2018.He has worked for the several institutions such as- M.P. Pollution Control Board, M. P. Road Transport Corporation, Nagrik Sahkari Bank Maryadit Gwalior, M.P. Housing Board. He was Appointed as Judge of M.P. High Court on 27/05/2019.


HON'BLE SHRI JUSTICE GURPAL SINGH AHLUWALIA

He was born on 20.02.1966 (Twentieth February Nineteen sixty six). He is practicing in the High Court of Madhya Pradesh for the last 27 years 7 months. He was enrolled as an Advocate-on .04.07.1988 on the rolls of State Bar Council of M.P. His father late Shri Man Mohan Singh, 1.0.F.S., retired from the post of Assistant Works Manager, Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur (U.P.). His mother Smt. Swaranjeet Kaur is a housewife. His wife Smt. Bhupinder Kaur is a housewife. His son Master Yashpal Ahluwalia is studying in Class12th and he represented State of M.P. in 59th National 10 M Pistol Shooting Junior. Shri Gurpal Singh Ahluwalia has appeared before Hon'ble Supreme Court, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, High Court of Mumbai, High Court of Gujarat, High Court of Punjab and Haryana, High Court of Chhatisgarh, "State Administrative Tribunal, Jabalpur, Central Admtnistrative Tribunal, Jabalpur, Debts Recovery Appellate Tribunal, Allaha bad, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur. He conducts trials under Prevention of Corruption Act and murder in different Trial Courts in State of Madhya Pradesh. Shri G. S.Ahluwalia was elected as Executive Member in the Madhya Pradesh High Court Bar Association JOalpur for the period 1994-1995. He worked as State Panel Lawyer from December 1994 till February, 1996. He has worked as Deputy Government Advocate from March 1996 till February 1997. He was Government Advocate from March 1999 till June 2003. He was Deputy Advocate • General from June 2003 to February 2004. He was • Standing Counsel for Lokayukt Organization, S.P.E. from 2006 till July 2009. He • had been a Special Public Prosecutor for CID Nagpur in the year 1997 for representing State of Maharashtra before Hon'ble High Court. Shri G. S.Ahluwalia is at present also working as Chief Editor ILR in the night, Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. Appointed as Judge of the High Court of Madhya Pradesh on October 13th, 2016 and Permanent Judge on March 17, 2018.

News clippings LATE SHRI JP GUPTA MEMORIAL 3RD AUMP NATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2019









एमिटी में नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पीटिशन जीवन में धैर्य रखकर ही बन सकेंगे अच्छे एडवोकेट



फोट,



पत्रिका PLUS रिपोर्टर

ग्वालियर ● एडवोकेट का प्रोफेशन चुनने वाले स्टूडेंट्स को धैर्यवान होना पड़ेगा। उन्हें कठोर परिश्रम करना होगा, किंतु इसका परिणाम उन्हें एक श्रेष्ठ अधिवक्ता की पहचान और सम्मान के रूप में प्राप्त होगा। यह बात न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी ने मूट कोर्ट प्रतियोगिता के फाइनल राउंड पर कही। यह आयोजन एमिटी यूनिवर्सिटी की ओर से जेपी गुप्ता की स्मृति में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता का निर्णय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी, न्यायमूर्ति आनंद पाठक, न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने किया।

आर्मी इंस्टीट्यूट टीम बनी विनर

अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने बताया कि
अधिवक्ता और चिकित्सक का व्यवसाय एक
है। दोनों का काम मानव जीवन को बचाना
है। जिस प्रकार चिकित्सक अपने मरीज को
मौत के मुंह से बचाता है वहीं अधिवक्ता
व्यक्ति को फांसी के फंदे से बचाता है।
एमिटी नेशनल मीट कोर्ट कॉम्पीटिशन में
आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली की टीम
विजेता रही। लास्ट दिन विजेता टीमों को
पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर एमिटी
विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल
वीके शर्मा, डिप्टी प्रो वीसी डॉ अनिल विशिष्ठ,
रजिस्ट्रार राजेश जैन, निदेशक मेजर
जनरह उन्हेंदर कुमार लॉ निपर्नेंने के कुल्पित लेफ्टिनेंट जनरल

byoh Jam

नए अधिवक्ताओं को धैर्यवान होना जरूरी: धर्माधिकारी

ग्वालियर। एमिटी विश्वविद्यालय में स्वर्गीय जेपी गुप्ता स्मृति नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन 2019 के फाइनल राउंड में ग्वालियर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी, न्यायमूर्ति आनंद पाठक, न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने निर्णय किया। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी ने कहा कि अधिवक्ता का व्यवसाय अपनाने वाले छात्रों को धैर्यवान होना पड़ेगा। उन्हें कठोर परिश्रम करना होगा जिसका परिणाम उन्हें एक श्रेष्ठ अधिवक्ता की पहचान और सम्मान के रूप में प्राप्त होगा।

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने विधिक जगत में स्वर्गीय जेपी गुप्ता के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन, उनके द्वारा किए गए संघर्ष और विधिक व्यवसाय में उनके द्वारा पालन किए गए आदर्शों को प्रेरणा के रूप में नवीन अधिवक्ताओं के लिए सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि श्रेष्ठ अधिवक्ता बनने के लिए पढ़ाई, घुमाई और मिलाई अर्थात सामान्य लोगों से मिलने-जुलने का गुण होना चाहिए, जिससे वह समाज की लोगों की परेशानी समझ सके। अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने बताया कि अधिवक्ता और चिकित्सक का व्यवसाय एक है। दोनों का काम मानव जीवन को बचाना है। जिस प्रकार चिकित्सक अपने मरीज को मौत के मृंह से वहीं अधिवक्ता फांसी के फंदे से बचाता है। एमिटी नेशनल मीट कोर्ट कॉम्पिटिशन में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली की टीम विजेता रही। रनरअप आरो यूनिवर्सिटी सुरत, बेस्ट मेमोरियल सस्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, बेस्ट मूटर निखिल घई पंजाब निवर्सिटी चंडीगढ़, बेस्ट रिसर्चर अरिशा नुसरत जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली रहे। विजयी टीमों को जस्टिस एसए. धर्माधिकारी, जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विशाल मिश्रा और एडवोकेट मुकेश गुप्ता ने ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एमिटी विश्वविद्यालय के कुलपित लेफ्टिनेंट जनरल वीके शर्मा, डिप्टी प्रो वीसी डॉ. अनिल वशिष्ठ, रजिस्ट्रार राजेश जैन, निदेशक मेजर जनरल राजेंदर कुमार, प्राध्यापक सहित बड़ी संख्या में विधि छात्र उपस्थित रहे।

> Registrar Amity University Madhya Pradesh Gwalior

1

1

7

ī

-

7

ē

٠,

7

7

नए अधिवक्ताओं को धैर्यवान होना जरूरी: धर्माधिकारी

ग्वालियर। एमिटी विश्वविद्यालय में स्वर्गीय जेपी गुप्ता स्मृति नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन 2019 के फाइनल राउंड में ग्वालियर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी, न्यायमूर्ति आनंद पाठक, न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने निर्णय किया। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी ने कहा कि अधिवक्ता का व्यवसाय अपनाने वाले छात्रों को धैर्यवान होना पड़ेगा। उन्हें कठोर परिश्रम करना होगा जिसका परिणाम उन्हें एक श्रेष्ठ अधिवक्ता की पहचान और सम्मान के रूप में प्राप्त होगा।

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने विधिक जगत में स्वर्गीय जेपी गुप्ता के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन, उनके द्वारा किए गए संघर्ष और विधिक व्यवसाय में उनके द्वारा पालन किए गए आदर्शों को प्रेरणा के रूप में नवीन अधिवक्ताओं के लिए सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि श्रेष्ठ अधिवक्ता बनने के लिए पढ़ाई, घुमाई और मिलाई अर्थात सामान्य लोगों से मिलने-जुलने का गुण होना चाहिए, जिससे वह समाज की लोगों की परेशानी समझ सके। अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने बताया कि अधिवक्ता और चिकित्सक का व्यवसाय एक है। दोनों का काम मानव जीवन को बचाना है। जिस प्रकार चिकित्सक अपने मरीज को मौत के मृंह से वहीं अधिवक्ता फांसी के फंदे से बचाता है। एमिटी नेशनल मीट कोर्ट कॉम्पिटिशन में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली की टीम विजेता रही। रनरअप आरो यूनिवर्सिटी सुरत, बेस्ट मेमोरियल सस्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, बेस्ट मूटर निखिल घई पंजाब निवर्सिटी चंडीगढ़, बेस्ट रिसर्चर अरिशा नुसरत जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली रहे। विजयी टीमों को जस्टिस एसए. धर्माधिकारी, जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस विशाल मिश्रा और एडवोकेट मुकेश गुप्ता ने ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एमिटी विश्वविद्यालय के कुलपित लेफ्टिनेंट जनरल वीके शर्मा, डिप्टी प्रो वीसी डॉ. अनिल वशिष्ठ, रजिस्ट्रार राजेश जैन, निदेशक मेजर जनरल राजेंदर कुमार, प्राध्यापक सहित बड़ी संख्या में विधि छात्र उपस्थित रहे।

Registrar
Amity University Madhya Pradesh
Gwalior

1

1

7

ī

-

7

ē

7

7



ve . 13 sports . 14

ग्वालियर, शुक्रवार, 27.09.2019

PATRIKA.COM/I

ANCHUK

जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने दिए लॉ स्टूडेंट्स को टिप्स

बहस में हर एक शब्द सोच समझकर बोलें

एमिटी यूनिवर्सिटी में मूट कोर्ट प्रतियोगिता

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

ग्वालियर ● एडवोकेट को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाना चाहिए। उसे विपक्षी के नजिरए से भी तैयारी करनी चाहिए। बहस के दौरान हर एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए और तसल्ली से बोलना चाहिए। यह बात मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एमपी हाईकोर्ट जिस्टस जीएस अहलूवालिया ने मूट कोर्ट प्रतियोगिता के इनॉग्रंशन सेशन में स्टूडेंट्स से कही। यह कार्यक्रम एमिटी यूनिवर्सिटी में अव्योजित किया गया। इसमें देशभर से कुल 42 टीमों ने भाग लिया, जिन्होंने केस पर बारीकी से अपनी-अपनी दलीले पेश की।

केस के हर पहलू पर गौर करें : जिस्ट्स अहल्वािलया ने कहा कि यदि किसी केस में अच्छा डिसीजन आता हैं, तो इसके लिए जज तारीफ के काबिल हैं, लेकिन जब बहुत अच्छा डिसीजन आता हैं, तो एडवोकेट काबिलेतारीफ होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, किसी भी केस को हाथ में लेते समय उसके हर पहलू पर गौर करें। खुद से ज्यादा विपक्षी के तौर पर भी सोचे।



दोष की संभावना पर दंड नहीं दिया जा सकता : अहल्वालिया ने कहा कि सर्वम इंस्टेशियल एविडेंस की चेन जब तक कम्पलीट नहीं होगी, तब तक उनके आधार पर किसी को देंडित नहीं किया जा सकता। जो एविडेंस हैं उनका कन्बलूजन एक ही हो कि अभियुक्त दोष है। दोष की संभावना पर दंड नहीं दिया जा सकता। इस अवसर पर डिप्टी प्रोवीसी डॉ. अनिल वशिष्ठ, डीन एकेडिमिक डॉ. आरएस तोमर, एउमिटी लॉ स्कूल के निदेशक मेजर जनरल राजिन्दर कुमार उपस्थित रहे।

इंदौर में दो लड़कियों का मर्डर होता है। बड़ी लड़की के ब्वॉयफ्रेंड को एक्यूज बनाते हैं। लड़के और लड़की अलग-अलग समाज के होते हैं। एक दिन पहले ही लड़की और लड़के के पिता से हॉट टॉक होती हैं। लड़के को संदेह के आधार पर बांबे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि यह घटना इंदौर की होती हैं। लड़के की गिरफ्तारी के पहले वेपंस और चाकू घटनास्थल से बरामद होते हैं। लड़का मुंबई मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल लेता है, लेकिन इंदौर में डिनाय कर देता हैं।

Se de

पुलिस हिरासत में की गई संस्वीकृति विधिक संस्वीकृति नहीं है।

विपक्ष

अन्यंत्रता के तर्कको सिद्ध करने के अवसर अभियुक्त का अधिकार है।

• गिरफ्तारी के पूर्व बरामदगी विधिमान्य वर्ती है। अपराध का उद्देश्य मात्र दोष सिद्ध का आधार नहीं हो सकता।

नहीं है। का र

Citywes

ग्वालियर, शुक्रवार 27 सितंबर, 2019 . 02

CITY ACTIVITY

एमिटी यूनिवर्सिटी में मूट कोर्ट कॉम्पटीशन के शुभारंभ पर जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा

MOOT COURT

सिटी रिपोर्टर . ग्वालियर

आर्गूमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए वकील को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट आना चाहिए। सामने वाला वकील क्या-क्या सवाल कर सकता है, इस बारे में भी सोचें और अध्ययन करें। इस तरह बेहतर ढंग से सवाल-जवाब हो सकते हैं। वकील को शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। यह बात हाईकोर्ट के जस्टिस यूनिवर्सिटी में जेपी गुप्ता स्मृति में नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पटीशन के शुभारंभ पर लॉ ही होना चाहिए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी कुमार, डॉ. संदीप कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे। के विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। के कुलपित वीके शर्मा, डॉ. अनिल कॉम्पटीशन के दूसरे दिन शुक्रवार को



जीएस अहलूवालिया ने कही। वह एमिटी • एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते जिस्टस जीएस अहलूवालिया।

उन्होंने कहा कि एविडेंस का निष्कर्ष एक विशष्ठ, डॉ. आरएस तोमर, राजिंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

देशभर से आई हैं 42 टीम

मूट कोर्ट कॉम्पटीशन में देशभर से 42 टीम हिस्सा लेने आई हैं। सभी को एक मामला दिया गया है। मामला यह है कि इंदौर में रहने वाली दो लड़कियों की हत्या हो जाती है। शक के आधार पर पुलिस एक लड़की के बॉयफ्रेंड को मुंबई से गिरफ्तार करती है, क्योंकि घटनास्थल पर मृतिका के पिता ने पुलिस को बताया था कि घटना के एक दिन पहले ही लड़के के पिता से उनकी बहस हुई थी। पुलिस हत्या में उपयोग चाकू भी बरामद कर लेती है।

ANGHOR जिस्ट्स जीएस अहलूवालिया ने दिए लॉ स्टूडेंट्स को टिप्स

बहस में हर एक शब्द सोच समझकर बोलें

एमिटी यूनिवर्सिटी में मूट कोर्ट प्रतियोगिता

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

ग्वालियर 🔷 एडवोकेट को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाना चाहिए। उसे विपक्षी के नजरिए से भी तैयारी करनी चाहिए। बहस के दौरान हर एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए और तसल्ली से बोलना चाहिए। यह बात मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एमपी हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने मूट कोर्ट प्रतियोगिता के इनॉग्रेशन सेशन में स्ट्डेंट्स से कही। यह कार्यक्रम एमिटी यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। इसमें देशभर से कुल 42 टीमों ने भाग लिया, जिन्होंने केस पर बारीकी से अपनी-अपनी दलीले पेश कीं।

केस के हर पहलू पर गौर करें : जस्टिस अहल्वालिया ने कहा कि यदि किसी केस में अच्छा डिसीजन आता है. तो इसके लिए जज तारीफ के काबिल है, लेकिन जब बहुत अच्छा डिसीजन आता है, तो एडवोकेट काबिलेतारीफ होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, किसी भी केस को हाथ में लेते समय उसके हर पहलू पर गौर करें। खुद से ज्यादा विपक्षी के तौर पर भी सोचें।



दोष की संभावना पर दंड नहीं दिया जा सकता : अहलूवालिया ने कहा कि सर्कम इंस्टेशियल एविडेंस की चेन जब तक कम्पलीट नहीं होगी, तब तक उनके आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। जो एविडेंस हैं उनका कन्क्लूजन एक ही हो कि अभियुक्त दोषी है। दोष की संभावना पर दंड नहीं दिया जा सकता। इस अवसर पर डिप्टी प्रोवीसी डॉ. अनिल वशिष्ठ, डीन एकेडमिक डॉ. आरएस तोमर, एउमिटी लॉ स्कूल के निदेशक मेजर जनरल राजिन्दर कुमार उपस्थित रहे।

इंदौर में दो लड़िकयों का मर्डर होता है। बड़ी लड़की के ब्वॉयफ्रेंड को एक्यूज बनाते हैं। लड़के और लड़की अलग-अलग समाज के होते हैं। एक दिन पहले ही लड़की और लड़के के पिता से हॉट टॉक होती है। लड़के को संदेह के आधार पर बांबे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि यह घटना इंदौर की होती है। लडके की गिरफ्तारी के पहले वेपंस और चाक घटनास्थल से बरामद होते हैं। लडका मंबई मजिस्टेट के सामने अपना जुर्म कबुल लेता है, लेकिन इंदौर में डिनाय कर देता है।

पुलिस हिरासत में की गई संस्वीकृति विधिक संस्वीकृति नहीं है।

गिरफ्तारी के पूर्व बरामदगी विधिमान्य

💇 🅨 अन्यंत्रता के तर्कको सिद्ध करने के अवसर अभियुक्त का अधिकार है।

> अपराध का उददेश्य मात्र दोष सिद्ध का आधार नहीं हो सकता।

THE DIFF

एमिटी लॉ स्कूल में तीन दिनी जेपी गुप्ता स्मृति थेड एयूएमपी नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता आज से

ग्वालियर। देशभर के विधि छात्र

अधिवक्ता ऋिमनल लॉ के गंभीर मामलों में एमिटी लॉ स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय

स्व. जेपी गुप्ता स्मृति थर्ड एयूएमपी नेशनल मूट

कोड प्रतियोगिता में अपना पक्ष रखेंगे। एमिटी लॉ स्कूल के निदेशक मेजर जनरल राजेंद्र कुमार रिटायर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमिटी लॉ स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगित इस वर्ष लीजेंडरी एडवोकेट स्स्व. जेपी गुप्ता की स्मृति में 26 से 28 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों से 76 टीम की एंट्री प्राप्त हुई थी।

जिनमें से 42 टीम्स को भाग लेने हेतु चयनित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति जी एस अहलूवालिया करेंगे। 27

सितंबर को माननीय न्यायाधिपति एके श्रीवास्तव इस अवसर पर आयोनित सांस्कृतिक कार्यऋम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यऋम के फाइनल राउंड में विधि छात्र माननीय न्यायाधिपति एसए धर्माधिकारी, माननीय न्यायाधिपति आनंद पाठक एवं माननीय न्यायाधिपति विशाल मिश्रा की फुल बेंच के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। फाइनल 28 अक्टूबर को होगा।



मूट कोर्ट प्रतियोगिता आज से



एमिटी लॉ स्कूल के निदेशक मेजर जनरल राजेंद्र कुमार रिटायर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमिटी लॉ स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगित इस वर्ष लीजेंडरी एडवोकेट स्वर्गीय श्री जेपी गुप्ता की स्मृति में 26 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों से 76 टीम की एंट्री प्राप्त हुई थी। जिनमें से 42 टीम्स को भाग लेने हेत चयनित कियाँ गया

आयोजित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों से 76 टीम की एट्टी प्राप्त हुई थी। जिनमें से 42 टीम्स को भाग लेने हेतु चयनित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ 26 सितंबर को प्रात 9-30 बजे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जी एस अहलूवालिया करेंगे। 27 सितंबर को न्यायाधिपति एस ए अहलूवालिया करेंगे। 27 सितंबर को न्यायाधिपति ए के श्रीवास्तव इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के फाइनल राउंड में विधि छात्र न्यायाधिपति एस ए धर्माधिकारी, न्यायाधिपति आनंद पाठक एव न्यायाधिपति विशाल मिश्रा की फूल बेंच के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। फाइनल 28 अक्टूबर को होगा।

DainikBhaskar.com

मोक पर शिक्षक भा मोजूद रह।

एमिटी में नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पटीशन आज से

सिटी रिपोर्टर | एमिटी यूनिवर्सिटी में जेपी गुप्ता की स्मृति में नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पटीशन का आयोजन गुरुवार से किया जा जाएगा। तीन दिवसीय मूट कोर्ट में देशभर से 42 टीम हिस्सा लेने आ रही हैं। एमिटी लॉ स्कूल के निदेशक राजेंद्र कुमार ने बताया कि इसका शुभारंभ सुबह 9.30 बजे से होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के जिस्टस जीएस अहलूवालिया होंगे। 27 को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 28 सितंबर को फाइनल होगा।

मूट कोर्ट प्रतियोगिता में शामिल होंगे देशभर के स्टूडेंट्स

ग्वालियर ◆ देशभर के स्टूडेंट्स एमिटी लॉ स्कूल में आयोजित तीन दिवसीय जेपी गुप्ता की स्मृति में थर्ड एयूएमपी नेशनल मूट कोड प्रतियोगिता में अपना पक्ष रखेंगे। एमिटी लॉ स्कूल के निदेशक मेजर जनरल राजेंद्र कुमार (रिटायर्ड) के अनुसार देशभर से 76 टीम की एंट्री प्राप्त हुई थी जिनमें से 42 टीम्स को भाग लेने हेतु चयनित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को सुबह 9.30 बजे मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जीएस अहलूवालिया करेंगे। 27 सितंबर को न्यायाधिपति एके श्रीवास्तव चीफ गेस्ट होंगे।

Annexure II-A

Links of news clippings

AUMP NATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2018 6-7 September 2018

https://portal.amity.edu/backoffice/Uploads/media/2612_DainikBhaskar-27.09.19-AUMPNationalMootCourtCompetitionDay1-Amity.jpg

https://portal.amity.edu/backoffice/Uploads/media/2610_Patrika-27.09.19-AUMPNationalMootCourtCompetitionDay1-Amity.jpg

https://portal.amity.edu/backoffice/Uploads/media/2611_BharatMat-26.09.19-PrePressAUMPNationalMootCourtCompetition-Amity.jpg

https://portal.amity.edu/backoffice/Uploads/media/2606 DanikBhaskar-26.09.19-PrePressAUMPNationalMootCourtCompetition-Amity.jpg

https://portal.amity.edu/backoffice/Uploads/media/2607 Patrika-26.09.19-PrePressAUMPNationalMootCourtCompetition-Amity.jpg

https://portal.amity.edu/backoffice/Uploads/media/2608_NavBharat-26.09.2019-PrePressAUMPNationalMootCourtCompetition-Amity.jpg

https://portal.amity.edu/backoffice/Uploads/media/2611_BharatMat-26.09.19-PrePressAUMPNationalMootCourtCompetition-Amity.jpg

Event at a Glance




Hon'ble Judges judging Final Round on the Board



Cultural Evening on 27 September 2019



Hon'ble Mr. Justice A.K. Shrivastava (Retd.) Addressing Cultural Eve



Hon'ble Mr. Justice G.S. Ahluwalia delivering Inaugural Speach